12.00 Noon

सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी दलितों को नौकरियां नहीं दी जाती हैं। भेद-भाव और छुआछूत के कारण मात्र 2.42 प्रतिशत दलित परिवार ही निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र में ही दलितों को रोजगार की संभावनाएँ उपलब्ध हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि दलित समुदाय को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की संवैधानिक व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे भी समाज की मुख्य धारा में आ सकेंगे।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

Surrender and rehabilitation policy for NER

*211. PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of militants who surrendered under the 'Surrender and Rehabilitation Policy' for the North-Eastern Region;

(b) the number of individuals still undergoing rehabilitation under the scheme as of the Financial Year 2016-17; and

(c) whether Government plans to start any scheme to integrate these individuals into the mainstream by providing academic and employment opportunities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the information available from the States 15314 militants have surrendered under Surrender-cum-Rehabilitation Policy for North Eastern Region.

(b) 235 individuals are still undergoing rehabilitation under the Surrender-cum-Rehabilitation Scheme as of Financial Year 2016-17.

(c) The assistance given under the present Surrender-cum-Rehabilitation Policy for North Eastern Region has components of rehabilitation and is intended to enable the ex-militants to join the mainstream.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, the reply states that more than 15000 individuals have been rehabilitated. Can the Minister provide us the details of how many have been provided jobs and how many lapsed back into militancy?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, since 1998, the Government of India has been implementing the policy of how to get back those militants who have gone into the wrong path and take them into the mainstream. The Government of India has been giving from time to time all kinds of support in the name of rehabilitation and surrender policy and in each State, except Mizoram, if you now count Sikkim also, barring these two States, the scheme has been implemented. Presently, only Assam and Manipur have claimed this money for rehabilitation and surrender policy. Most of the militants have been merged into the national mainstream and a very few are left. We are looking forward for more surrendering in the future. In terms of the numbers, which the hon. Member has asked, it is a large number which I have also provided him in the main answer. If you want details, I can provide you those figures State-wise, but it will take long time. We are encouraged by the numbers of the militants who have surrendered and they have merged into the mainstream.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, this is a very, very important issue because reintegration of surrendered militants is a challenge that we need to address in other parts of the country as well. When these people try to reintegrate, they face social backlash because they may be seen as anti-social elements and they may also be facing threats from their former comrades in arms. What specific measures is the Government taking to work with communities to ensure better rehabilitation and also to ensure the security of the surrendered militants who have now been rehabilitated?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, this is a very pertinent and important question raised by the hon. Member. There are various steps being taken to ensure that those surrendered militants don't get back into their old profession. So, for that purpose, there are various vocational trainings also being launched by the State Governments because they need permanent jobs or activities to ensure that they take care not only of their lives but their families also. At the same time, the hon. Member has rightly pointed out that they also face threat from their erstwhile colleagues who are still actively involved in the insurgency activities. The Central Government is putting all efforts through State Governments for curbing all illegal and unlawful activities of the militants those who are active. That is why through various efforts and, as I said, through our security efforts and measures being adopted in collaboration with the State Government, we are taking various steps. As I mentioned in the main answer, the success rate is very high. That is why I can consider the Government's surrender and rehabilitation policy as successful.

श्री बिश्वजीत दैमारीः माननीय सभापति जी, मैं आपके जरिए माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्तमान में असम की एक लोक सभा कांस्टीट्यूएंसी से, एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बैन किया गया है और वह अभी सरकार से बात कर रही है, उसका एक नेता, वहां से लोक सभा में चुनकर आया है और वह आज एमपी है। उसने कभी सरेंडर नहीं

किया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई भी उग्रवादी, जिसको निषेध किया गया, बैन किया गया है, वह सीज़फायर करके सरकार के साथ एग्रीमेंट करने के बाद हमारे देश के किसी भी निर्वाचन में खड़ा हो सकता है और किसी भी नौकरी, चाहे वह आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, उसमें वह भर्ती हो सकता है? मैं इसको सीधे तरीके से जानना चाहता हूँ कि उग्रवादी होते हुए भी सरेंडर किए बिना, बैन होते हुए भी क्या वह इन सबमें पार्टिसिपेट कर सकता है?

श्री किरन रिजिजुः सर, असम एक ऐसा राज्य है, जिसमें कई सारे संगठन हैं, जिनके साथ सरकार की बातचीत भी चली, ceasefire operation भी हुआ, Memorandum of Settlement भी हुआ और काफी संख्या में सरेंडर भी हुआ है। माननीय सदस्य ने लोक सभा में जो एक सदस्य हैं, उनका जिक्र किया है। बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया और सरेंडर करते समय तो कोई लोक सभा, राज्य सभा या विधान सभा का सदस्य नहीं रहा और उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी, लेकिन 2014 में अगर कोई लोक सभा का चुनाव लड़ा और सदस्य बना, तो उस पर अभी यहां उठ कर इस सदन में कुछ कहने का मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई जब लोक सभा इलेक्शन प्रक्रिया से चुन कर आया है तो उसके लिए मैं यहां उस पर कोई सफाई नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो भी सरेंडर किया जाता है और अगर सरेंडर नहीं भी हुआ है, परन्तु अपना हथियार वगैरह छोड़ कर कोई आया है या जिसको हम किसी तरीके से मानते हैं कि वह किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है या उसके खिलाफ ऐसा कोई वॉरंट नहीं है, तो ऐसे में कानून तो सबके लिए बराबर है और उसके तहत अगर वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल होता है और चुन कर आता है, तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं।

श्री सभापतिः श्री सन्तियुस कुजूर।

श्री बिश्वजीत दैमारीः सर, मैं जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह हो सकता है या नहीं हो सकता है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः उन्होंने आपको जवाब दे दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारीः सर, तब तो यह देश उग्रवादियों का ही देश हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़।

श्री सन्तियुस कुजूरः चेयरमैन सर, आदिवासी सीज़फायर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी कोबरा मिलिटरी ऑफ असम, आदिवासी नेशनल लिबरेशन ऑफ असम, संथाल टाइगर्स फोर्स आदि हैं, इनके बहुत सारे मेम्बर्स अभी सीज़फायर कैम्प्स में रहते हैं। इन लोगों ने 4-5 साल पहले सरेंडर किया था, सीज़फायर में आए थे। इन लोगों का जो मूल इश्यू था, जिस मुद्दे को लेकर इन लोगों ने सरेंडर किया था, सीज़फायर किया था, उस मुद्दे को, उस इश्यू को resolve करने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या कदम उठाया है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री किरन रिजिजुः सर, असम में, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे militant outfits हैं, जिन्होंने सरेंडर भी किया है, जिनके साथ ceasefire operation भी हुआ है। माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है, जो उन्होंने आदिवासी संगठन से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया, तो आदिवासियों से

जुड़े हुए उनके जो पांच इंटरेस्ट्स हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन बनाये, जिनके साथ भारत सरकार का suspension of operation हुआ है और किसी के साथ बातचीत भी हो रही है, वह आपको पता है। बातचीत के साथ-साथ कई ऐसे केसेज़ भी हैं, जो दर्ज किए गए थे, उन केसेज़ को भी विद्ड्रॉ किया गया, क्योंकि वह प्रावधान है कि जब बातचीत होती है या कोई सरेंडर करता है, तो जब वह सरेंडर करता है, तो उसके खिलाफ केसेज़ भी हम विद्ड्रॉ करते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसा भी है, जिसमें केसेज़ बने रहते हैं, क्योंकि बातचीत जब तक कम्प्लीट नहीं हुई, तब तक कोई-कोई केस बचा रहता है। इसलिए आदिवासी संगठन, जितने भी नाम माननीय सदस्य ने लिये हैं, उनके अलावा भी असम में जितने भी संगठन हैं, सब के साथ भारत सरकार असम सरकार के सहयोग से यह कोशिश कर रही है कि सभी मेनस्ट्रीम में आ जाएँ। अगर सभी मेनस्ट्रीम में आ जाएँगे, तो उनके जो मुद्दे हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे और उनके खिलाफ जो केसेज़ हैं, वे भी खत्म हो जाएँगे।

श्री लाल सिंह वडोदियाः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आतंकवादियों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक संनिष्ठ लीडर्स द्वारा आतंकवादियों से संवाद करके इनकी समस्याओं को समझ कर और सरकार को साथ रख कर नया आतंकवादी बनने से रोका जाए, इसके लिए क्या सरकार कुछ प्रयास करना चाहती है?

श्री किरन रिजिजुः सर, यह तो जाहिर सी बात है कि सरकार यही चाहेगी कि जो आतंकवादी संगठन हैं, वे सारे खत्म हो जाएं और नया संगठन उत्पन्न भी न हो। यह हर सरकार का हमेशा ही प्रयास रहता है, इसलिए जो संगठन चल रहे हैं, वे अगर बातचीत के लिए तैयार होते हैं, तो सरकार उनको बातचीत के लिए जरूर आमंत्रित करती है, लेकिन इस संबंध में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लीयर है कि we are ready for peace talks, but you must cease violence. जब तक आप हथियार लेकर सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ जंग छेड़ते रहेंगे या लड़ाई करते रहेंगे, तब तक आपसे बातचीत नहीं होगी। अगर आपको सरकार से बातचीत करनी है, तो आपको surrender करना पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रकार के नए संगठन उत्पन्न न हों, इसके लिए तो हम यहां से कोई एक definite plan तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि इस तरह का और संगठन इस देश में खड़ा न हो।

Attacks on railway tracks

*212. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has thoroughly investigated through various intelligence agencies, the recent attacks on railway tracks;

(b) if so, the details thereof indicating the findings thereof;

(c) whether it is a fact that ISI and Pakistan sponsored agencies are involved in such attacks; and

(d) if so, the details of steps taken/proposed to be taken by Government for securing the country's huge railway network?